

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 183/2022

लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड, मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 2 डी, एफ एल टावर, गोपीनाथ मार्ग, एम आई रोड, जयपुर 302001

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. विशम्भर सैनी पुत्र श्री सांवल राम सैनी, पता रेखा वाली ढाणी, कासिमपुरा, बगड, जिला झुंझुनूं।
2. वीरसिंह सैनी पुत्र विशम्भर सैनी, पता रेखा वाली ढाणी, कासिमपुरा, बगड, जिला झुंझुनूं।
3. सूवा देपी पत्नि विशम्भर सैनी, पता रेखा वाली ढाणी, कासिमपुरा, बगड, जिला झुंझुनूं।
4. राहुल सैनी पुत्र विशम्भर सैनी, पता रेखा वाली ढाणी, कासिमपुरा, बगड, जिला झुंझुनूं।
5. विकास सैनी पुत्र विशम्भर सैनी, पता रेखा वाली ढाणी, कासिमपुरा, बगड, जिला झुंझुनूं।
6. लालचन्द पुत्र मनोहर लाल, पता रेखा वाली ढाणी, कासिमपुरा, बगड, जिला झुंझुनूं।
7. संजू सैनी पत्नि वीरसिंह सैनी, पता रेखा वाली ढाणी, कासिमपुरा, बगड, जिला झुंझुनूं।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा (लक्ष्मी इण्डिया फि0प्रा0लि0) – प्रार्थी बैंक की ओर से
2. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 बावजूद नोटिस तामिल आज अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 20.07.2022

प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ने वित्तीय संस्था से दिनांक 30.01.2020 को जरिये लोन खाता संख्या – पी0एल0 9117 राशि 9,00,000/- रुपये अक्षरे नौ लाख रुपये मात्र का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके सहऋणियों ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस सम्पत्ति पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

श्री विशरम्भर सैनी पुत्र श्री सांवल राम सैनी मालिक आबादी प्लॉट पट्टा नं0 31, ग्राम पंचायत कासिमपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 190.55 वर्ग गज मे स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है।

चर्तुसीमा –

- | | |
|------------|-------------------------|
| पूर्व में | – जाटों की भूमि |
| पश्चिम में | – प्रभाती लाल का मकान |
| उत्तर में | – रास्ता |
| दक्षिण में | – राजकीय प्राथमिक स्कूल |



जिला कलक्टर झुंझुनूं

श्रीमती सुवा देवी पत्नि विशरम्भर सैनी मालिक आबादी प्लॉट नं० 15 व 16, खसरा नं० 399, ग्राम कायस्थपुरा, तहसील व जिला झुंझुनू राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 430.66 वर्ग गज में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं।

चर्तुसीमा -

- पूर्व में - रास्ता 25 फीट
- पश्चिम में - प्लॉट नं० 9 व 10
- उत्तर में - अन्य की भूमि
- दक्षिण में - प्लॉट नं० 14

प्रार्थी कम्पनी अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-अ के खंड (च) में यथा निर्धारित एक सौ करोड़ रूपए से अधिक की आस्ति वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जिसको केन्द्रीय सरकार (भारत सरकार) के वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.02.2020 को जारी अधिसूचना का०आ 856 (अ) के द्वारा पचास लाख रूपए और उससे अधिक तथा दिनांक 12.02.2021 को जारी अधिसूचना का०आ 652 (अ) के द्वारा बीस लाख रूपए और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणों के संबंध में प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीकम व अतिदेय होने पर दिनांक 15.05.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि लोन खाता संख्या पी०एल० 9117 कुल राशि 20,24,541/-रूपये (अक्षरे बीस लाख चोबीस हजार पांच सौ ईकतालीस रूपये) दिनांक 14.03.2022 तक शेष व दिनांक 14.03.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 19.03.2022 को रजि० नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी पुनः देय राशि का भुगतान प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड को नहीं दिया। अप्रार्थीगण ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की संख्या 2 में दिया गया है का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड द्वारा नियमानुसार एन०पी०ए० घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी सं० 2 वीरसिंह ने तारीख पेशी दिनांक 04.07.2022 को उपस्थित होकर निवेदन किया था कि वे 7 दिवस में 2 लाख रूपये प्रार्थी को अदा कर रसीद पेशी दिनांक 18.07.2022 को पेश कर देंगे उन्हें ऋण चुकाने हेतु अवसर दिया जावे। अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 7 दिनांक 18.07.2022 एवं आज की पेशी में बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 7 के विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई की गई।


हमने प्रार्थी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड द्वारा


जिला कलेक्टर झुंझुनू

अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अप्रार्थी सं0 2 श्री वीरसिंह सैनी पुत्र श्री सांवल राम सैनी के मालिकाना हक का आबादी प्लॉट पट्टा नं0 31, ग्राम पंचायत कासिमपुरा, तहसील व जिला झुंझुनू राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 190.55 वर्ग गज एवं अप्रार्थी सं0 3 सुवा देवी पत्नि श्री वीरसिंह सैनी के मालिकाना हक का आबादी प्लॉट नं0 15 व 16, खसरा नं0 399, ग्राम कायस्थपुरा, तहसील व जिला झुंझुनू राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 430.66 वर्ग मे स्थित है का पजेशन प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल0एस0कुडी)

जिला कलक्टर एवं

जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू